



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 554 राँची, शुक्रवार,

18 नवम्बर, 2022 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

14 नवम्बर, 2022

विषय :- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित **RIDF-XXVIII** के तहत **14-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं** के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपये **98766.38** लाख (नौ सौ सतासी करोड़ छियासठ लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (**98766.38** लाख रुपये) का **20%** अर्थात् रुपये **19753.276** लाख (एक सौ सतानवे करोड़ तिरपन लाख सताइस हजार छः सौ रुपये मात्र) नाबार्ड द्वारा **Mobilization** के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ज्ञापांक : अर्थोपाय (30)-13/2021/...587....बजट--राज्य सरकार **RIDF-XXVIII** के तहत **14-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं** के कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र सं० **NB.JH.SPD/1718/RIDF-XXVIII/14 RPDWSS/2022-23** दिनांक **06.10.2022** द्वारा रुपये **98766.38** लाख की ऋण राशि स्वीकृत है। अतः मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया गया है :-

2. परियोजना की कुल लागत **250063.59** लाख रुपये है, जिसमें नाबार्ड से **98766.38** लाख रुपये एवं राज्य संसाधन का हिस्सा **(17429.45 + 17671.93) 35101.38** लाख रुपये एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा **(Assistance under JJM) 116195.83** लाख रुपये शामिल है।
3. उक्त **14-ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं** की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
4. यदि किसी कारणवश प्राक्कलित राशि में विधिसम्मत तरीके से संशोधन होता है, तो इसकी सूचना प्रशासी विभाग द्वारा नाबार्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा, अनुसूची I, वित्तीय वर्ष **2022-23** एवं **2023-24** में किये जायेंगे।
6. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्तें नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है। इसका अनुपालन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जायगा।
7. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण राशि (**98766.38** लाख) का **20%** (अर्थात् रुपये **19753.276** लाख) नाबार्ड द्वारा **Mobilization Advance** के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराया जाना है।
8. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग **NABARD RIDF** से संचालित योजना का अपनी **website** पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा।
9. चालू (**on going**) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, विभागीय **website** पर **update** करेगा।
10. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र **evaluator** से भी **monitoring** करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी **website** पर **update** करेगा।
11. इन जलापूर्ति योजनाओं की रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मत हेतु जल कर लगाकर राशि उगाही का सार्थक पहल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करेगा।
12. यह संकल्प विभागीय संलेख संख्या-**554/बजट**, दिनांक **07.11.2022** पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **10.11.2022** में मद संख्या-**11** के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है।

अखौरी शशांक सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।
